"हिंदी में पत्र व्यवहार कर देश का गौरव बढ़ाएं"

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपारेशन लिमिटेड

RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED

(भारत सरका का उद्यम) (**A Government of India Enterprise**)

असीमित ऊर्जा, अपरिमित संभावनाएं

Regd Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele. 24365161 Fax 24360644 Email reccorp@recl.nic.in Gram RECTRIC
Website www.recindia.com & www.recindia.nic.in

सीमित टेंडर पूछताछ

आरईसी/वित्त/आईएसओ/2008-09/खंड IV   दिनांकः 04.11.2008

ओ संलग्न सूची के अनुसार

विषयः सीमित टेंडर आधार पर आईएसओ **9001:2000** के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन के लिए "प्रमाणन निकाय" की नियुक्ति।

वित्तीय बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय **:**	**14.11.2008** को **1600** बजे **(**भारतीय मानक समय**)**
वित्तीय बोली खोलने की अंतिम तारीख और समय **:**	**14.11.2008** को **1630** बजे **(**भारतीय मानक समय**)**

महोदय,

आरईसी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के संबंध में आईएसओ 9001:2000 को लागू करना चाहता है और उसे देश के विभिन्न भागों में स्थित 8 परियोजना कार्यालयों में प्रक्रिया क्रियाकलापों के अपने दावे के संबंध में प्रमाणन एजेंसी से आईएसओ प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहता है।

मैसर्स रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन, नई दिल्ली आईएसओ 9001:2000 मानक के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन हेतु "प्रमाणन निकाय" की नियुक्ति के लिए वित्तीय बोली आमंत्रित करता है। यह वित्तीय बोली निर्धारित प्रपत्र में मोहरबंद लिफाफे में अंतिम तारीख को या उससे पहले, जिसके ऊपर 'आईएसओ 9001:2000' लिखा हो, प्रस्तुत की जाएगी। बोलीदाता बोली खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

1.	प्रस्ताव की विधिमान्य अवधि	यह प्रस्ताव 60 दिन तक विधिमान्य होगा
2.	अदायगी की शर्त	- प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर 10औ रकम जारी की जाएगी। - पूर्व प्रमाणन/प्रमाणन लेखापरीक्षा किए जाने पर 40औ रकम जारी की जाएगी।

- शेष 50औ रकम इस प्रकार जारी की जाएगी
    - कुल शुल्क का 20औ सभी आईएसओ 9001:2000 प्रमाणपत्र (सं.8) जारी किए जाने पर जारी की जाएगी, जैसाकि संलग्न कार्य के क्षेत्र में उल्लेख किया गया है।
    - 30औ रकम निगरानी लेखापरीक्षा के बाद वार्षिक आधार पर आनुपातिक रूप से जारी की जाएगी।

3.	निर्धारित कार्य का पूरा किया जाना	जैसा कि संलग्न कार्य के क्षेत्र में उल्लेख किया गया है।

सभी रूप में पूर्ण बोलियां अधोहस्ताक्षरकर्ता, महाप्रबंधक (वित्त), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003 को नियत तारीख और समय को या उससे पहले भेजी जाएंगी। नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त बोलियां अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

फेक्स/ई-मेल से प्राप्त बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

बोलीदाता (बोलीदाताओं) को सलाह दी जाती है कि वे टेंडर दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार ही बोली दें और किसी प्रकार का अंतर या अपवाद न करें। एक बार प्रस्तुत की गई बोली में बोलीदाता बाद में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, भले ही बोली में विशेष रूप से किसी अंतर या अपवाद का उल्लेख किया गया हो। कीमत में ऐसी फेर बदल करने से प्रस्ताव को रद्द किया जाएगा।

आरईसी को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए प्राप्त हुई किसी या सभी टेंडरों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

कार्य का क्षेत्र और वित्तीय बोली का प्रपत्र संलग्न है।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए आप टेलीफोन सं.011-24369307 पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय,

ह./-
(वी.के. अरोड़ा)
महाप्रबंधक (वित्त)

प्रमाणित करने वाली एजेंसियों की सूची

मैसर्ज डेट नोर्सक वेरीटस
एज(सर्टीफिकेशन सर्विस, इंडिया)
203, सावित्री सदन 1
11 प्रीत विहार कम्यूनिटी सेंटर
नई दिल्ली - 110092

मैसर्ज आईसीआरएस मैनेजमैंट सिस्टम प्राइवेट लि.
808, सुनेजा टॉवर-।।
डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी
नई दिल्ली -110 058

मैसर्ज यूआरएस सर्टीफिकेशन लि.
बी-8 दयानन्द कालोनी
लाजपत नगर-4
नई दिल्ली- 110 024

वैक्सिल बिजनेस प्रोसेस सर्विस प्राइवेट लि.
10184, तीसरा तल (लेंडमार्क इन)
मेन एरिया समाज रोड
करोल बाग
नई दिल्ली 110 005

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्डस
मानक भवन
9 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली- 110002

मैसर्ज बीएसआई मैनेजमैंट सिस्टम
दि मीरा कारपोरेट सूटस (ए-2),
पलॉट नं. 182, ईश्वर नगर,
मथुरा रोड
नई दिल्ली - 110 065

वित्तीय बोली

निविदा सं. आरईसी/वित्त/आईएसओ/**2008-09/1**

विषयः आईएसओ **9001:2000** मानक के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकाय की नियुक्ति हेतु निविदा

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	रकम रुपये में	
			अंकों में	शब्दों में
1.	प्रमाणन निकाय, जिसमें निगरानी लेखापरीक्षा भी शामिल है, द्वारा यथापेक्षित और उपयुक्त समझे गए पूर्व प्रमाणन/प्रमाणन लेखापरीक्षा करना और **8** परियोजना कार्यालयों को अलग-अलग आईएसओ **9001:2000** प्रमाण-पत्र जारी करना।	एकमुश्त		
2.	उल्लिखित दरों में स्थानीय परिवहन, यात्रा, आवास, भोजन और अन्य प्रासंगिक प्रभार आदि सहित सभी प्रभार शामिल होने चाहिएं।			
	जोड़			
	सभी कर (स्वरूप/प्रतिशतता का उल्लेख करें)			
	कुल जोड़			

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम और मोहर
संपर्क टेलीफोन सं.

कार्य का क्षेत्र - आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन वर्ष 1969 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का वित्तपोषण करना है। वर्ष 1998 में आरईसी को एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। वर्तमान में आरईसी विद्युत मंत्रालय के अधीन अनुसूची 'क' सरकारी क्षेत्रक उपक्रम है। इसे भारत सरकार द्वारा 'नवरत्न' कंपनी का दर्जा भी प्राप्त है। आरईसी का कारोबार संबंधी दायित्व वर्ष 2002 में बढ़ाया गया था ताकि विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की सभी श्रेणियों के लिए वित्तपोषण किया जा सके, भले ही उनका आकार और अवस्थिति कुछ भी हो। आरईसी का उद्देश्य तीव्र गति से बिजली की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना और ग्रामीण तथा शहरी जनता के जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करने तथा एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक-अनुकूल और विकासोन्मुखी संगठन के रूप में कार्य करना है ताकि देश में उत्पादन, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण तंत्र की परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करना और बढावा मिल सके।

अप्रैल, 2005 में भारत सरकार ने 5 वर्षों में सभी आवासों को बिजली पहुंचाने के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी सुविधाएं और आवास विद्युतीकरण की 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'(आरजीजीवीवाई) आरंभ की थी। इस योजना के लिए आरईसी को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

कार्य का क्षेत्र

1. आरईसी ने देश के विभिन्न भागों में, अर्थात मुम्बई, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, जबलपुर, बंगलौर, वड़ोदरा, चेन्नई और जयपुर में स्थित 9 परियोजना कार्यालयों में दावा प्रक्रिया क्रियाकलाप के लिए आईएसओ 9001:2000 पहले ही लागू कर दिया था। प्रमाणन एजेंसी द्वारा आरईसी को 9 आईएसओ प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए थे।

2. अब आरईसी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2000 लागू करना चाहता है और देश के विभिन्न भागों, अर्थात गुवाहाटी, पटना, शिमला, जम्मू, तिरुवनन्तपुरम, शिलांग, भुवनेश्वर और पंचकूला में स्थित 8 परियोजना कार्यालयों के लिए दावा प्रक्रिया क्रियाकलाप हेतु प्रमाणन एजेंसी से आईएसओ प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहता है। उन्हीं परियोजनाओं का तरीका (जिन्हें 9 परियोजना कार्यालयों पर लागू किया गया है) पहले ही अपना लिया है और दिनांक 1.08.2008 से इन 8 परियोजना कार्यालयों में लागू कर दिया गया है।

3. हम 8 परियोजना कार्यालयों में अलग-अलग आईएसओ 9001:2000 लागू करना चाहते हैं।

4. **प्रमाणन निकाय के लिए कार्य के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:**

   क. 8 परियोजना कार्यालयों के लिए अलग-अलग आईएसओ 9001:2000 प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए यथा अपेक्षित पूर्व-प्रमाणन/ प्रमाणन लेखापरीक्षा करना और उसे प्रमाणन निकाय द्वारा उपयुक्त समझना।

ख. प्रमाणन की विधिमान्य अवधि, अर्थात 3 वर्ष के दौरान उचित अंतरालों में निगरानी लेखापरीक्षा करना।

5. **प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कः**

क. पूर्व-प्रमाणन/ प्रमाणन लेखापरीक्षा आरईसी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने के बाद एक सप्ताह के अंदर आरंभ कर दी जाएगी।

ख. समय इस संविदा का महत्त्वपूर्ण भाग होगा। प्रमाणीकरण निकाय, जहां कहीं आवश्यक हो, अलग-अलग लेखापरीक्षकों को भेजकर समानांतर लेखापरीक्षा करेगा।

ग. चूंकि प्रमाणन निकाय को एकमुश्त रकम का उल्लेख करना होगा, इसलिए यात्रा, आवास, भोजन सहित सभी संबंधित खर्चों को प्रमाणन निकाय द्वारा वहन किया जाना होगा।

6. **निर्धारित कार्य का पूरा किया जाना**

प्रमाणन निकाय को सुनिश्चित करना होगा कि आरईसी से लेखापरीक्षा आरंभ करने के लिए अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 3 सप्ताह के अंदर पूर्व प्रमाणन लेखापरीक्षा/ प्रमाणन लेखापरीक्षा का कार्य पूरा किया जाए।

8 परियोजना कार्यालयों को आईएसओ 9001:2000 प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद यह कार्य पूरा समझा जाएगा।

जारी किए गए प्रमाण-पत्र की विधिमान्य अवधि के दौरान उचित अंतराल में निगरानी लेखापरीक्षा करना।